



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 33 राँची, मंगलवार,

24 जनवरी, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

jkT;kn'k

19 दिसम्बर, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० दुमका पूर्वी रेलवे (स्थायी भूहस्तांतरण)-243/2022-4485(5)/रा०--
सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-14.12.2022 में मद संख्या-23 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में दुमका जिला अंतर्गत अंचल-सरैयाहाट, मौजा-हरलाटांड, थाना सं०-22, खाता सं०-21, दाग सं०-205, कुल रकबा-3.528 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत तीन वर्षों का संग्रहित दलीलों के औसत दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि के संगणित सलामी की राशि 2,15,96,652/- (दो करोड़ पंद्रह लाख छियानवे हजार छः सौ बावन) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 2,69,95,815/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख पंचानवे हजार आठ सौ पंद्रह) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 3,91,43,932/- (तीन करोड़ इक्यानवे लाख तैंतालीस

हजार नौ सौ बत्तीस) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 8,77,36,399/- (आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर-हंसडीहा नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. विभागीय संकल्प सं०-1817, दिनांक-30.04.2015 के कंडिका-3 को शिथिल करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (Stage-II Clearance) के बिना स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी जाती है ।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- iii. उपायुक्त, दुमका प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।
- iv. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, दुमका यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- v. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/ संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- vi. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- vii. अन्य सभी शर्तों राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I**प्रस्तावित भूमि की विवरणी:-**

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	कुल प्रस्तावित रकबा (ए०में)	भूमि का किस्म
1-	01/2022-23	सरैया हाट	हरलाटांड	22	21	205	3.528	जंगल-झाड़ी।

अनुलग्नक &II**प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-**

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम रकबा	(ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ x कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान x 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य (लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/2022& 23	हरलाटांड	3.528	6121500	21596652	1079832.6	26995815	39143931.75	87736398.75
कुल-					21596652		26995815	39143931.75 या 39143932	87736398.75 या 87736399

अर्थात् 8,77,36,399/- (आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रुपये मात्र ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।